

**कार्यालय,**  
**सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,**  
**उत्तर प्रदेश लखनऊ।**

संख्या:- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2022/7817

लखनऊ: दिनांक: 30/08/2022

**:-कार्यालय ज्ञाप:-**

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा शैक्षिक सत्र 2022-23 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरांत प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 30/08/2022 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2022-23 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/ पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/ पाठ्यक्रम/ प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य मदों पर विचार करते हुए सत्र 2022-23 हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ द्वारा सत्र 2022-23 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 2111-S N A INSTITUTE OF PHARMACY			
क्र०सं०	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLLOMA IN PHARMACY	60	60

**सम्बद्धता हेतु शर्तें**

- ✓ संस्था ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमावली 1992, विनियमावली-2000, सेमेस्टर विनियमावली-2016 तथा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इंजी० पाठ्यक्रमों हेतु रू० 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम हेतु रू०- 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रू०-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2022-23 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की नवीनतम दरें लागू होंगी।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवंटित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।

**कार्यालय,**  
**सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,**  
**उत्तर प्रदेश लखनऊ।**

संख्या:- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2021/3537

लखनऊ: दिनांक: 09/08/2021

**:-कार्यालय ज्ञाप:-**

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा शैक्षिक सत्र 2021-22 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरांत प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 08/08/2021 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/ पाठ्यक्रम/ प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य मदों पर विचार करते हुए सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ द्वारा सत्र 2021-22 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 2111-S N A INSTITUTE OF PHARMACY, RANA PUR,HAIDERGARH,BARABANKI-225124			
क्र०सं०	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवाली 1992, सेमेस्टर विनियमावली-2016 तथा अन्य निर्मित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इंजी० पाठ्यक्रमों हेतु रू० 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मेसी पाठ्यक्रम हेतु रू०-45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मेसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रू०-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2021-22 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की नवीनतम दरें लागू होंगी।
- ✓ संस्था को (उ०प्र० प्राविधिक शिक्षा समितियां तथा उप समितियां, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाना) विनियमावली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवंटित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा। सीटों के रिक्त रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।

**सदरपत्रिका,  
राष्ट्रीय प्राथमिक शिक्षा परिषद,  
उत्तर प्रदेश लखनऊ।**

क्रमांक- प्राथम/परिषद सम्प्रदाय/2020/1871

लखनऊ दिनांक 18-8-2020

**-कार्यालय धारा-**

राष्ट्रीय प्राथमिक शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/राज्यीय सदरपत्रिका जिले प्राथमिक शिक्षा, नई दिल्ली द्वारा प्रेषित सत्र 2020-21 हेतु विस्तार प्राप्त राजकीय शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के अलावा प्राथमिक शिक्षा परिषद, लखनऊ लखनऊ से सम्प्रदाय/सम्प्रदाय शिक्षा प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-8-2020 को अधिसूचित प्राथमिक शिक्षा परिषद, लखनऊ लखनऊ की अधिसूचना में परिषद कार्यालय में प्रेषित किया गया है। शिक्षा में समिति द्वारा सत्र 2020-21 हेतु अधिसूचित नई संस्थाओं को सम्प्रदाय/पूर्व से सम्प्रदाय संस्थाओं को सम्प्रदाय विस्तार/प्रत्यक्ष/द्वितीय श्रेणी सुविधा सहित अन्य सभी का विचार करने हेतु सत्र 2020-21 हेतु सम्प्रदाय प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

उक्त के अनुक्रम में सम्प्रदाय समिति की बैठक को 18-8-20 को विस्तार प्राप्त राजकीय अधिसूचना सम्बन्धित करने वाली पूर्ण से सम्प्रदाय संस्थाओं का प्रकाश प्राप्त गया। सम्प्रदाय समिति द्वारा प्राप्त विस्तार-विस्तार का निम्नानु निर्णय लिया गया -

" निम्नी श्रेणी में स्थापित विस्तार प्राप्त इन राजकीय प्राथमिक शिक्षण संस्थाओं को सम्प्रदाय, जो प्राथमिक शिक्षा परिषद, लखनऊ लखनऊ से पूर्व से सम्प्रदाय है, एवं सत्र 2020-21 हेतु पीठरी/गर्भशाला द्वारा प्रदान किये जाने वाले अनुमोदन विस्तार प्रदान किया गया है। इन संस्थाओं में पीठरी/गर्भशाला द्वारा प्रदान किये गये अनुमोदन विस्तार को अनुसार उनकी नाम के सामुदायिक प्राथमिक/प्रवेश श्रेणी के साथ सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्प्रदाय विस्तार प्रदान किये जाने पर समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया एवं सर्वसम्मति से पीठरी/गर्भशाला द्वारा प्रदान अनुमोदन विस्तार को अनुक्रम में सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्प्रदाय विस्तार देने जाने का निर्णय लिया गया।"

दिनांक 18-8-2020 को अस्तु सम्प्रदाय समिति की बैठक में किये गये प्रारंभिक निर्णय के अनुक्रम में प्राप्त संस्था की प्राथमिक शिक्षा परिषद, लखनऊ लखनऊ द्वारा सत्र 2020-21 हेतु प्राथमिक शिक्षा नई की अधिसूचना प्राप्त एवं प्रामाणिक प्रवेश श्रेणी हेतु सम्प्रदाय शिक्षा प्रदान की जाती है -

क्र. सं.	संस्था का नाम	सम्प्रदाय का नाम	पीठरी/गर्भशाला द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदन प्रदान किया गया	पीठरी/गर्भशाला/परिषद द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदन प्रदान किया गया
1	एन. एच. एन. प्राथमिक शिक्षा संस्था, लखनऊ, लखनऊ।	विस्तार प्राप्त नहीं	हां	हां

**सम्प्रदाय हेतु नोट**

- ✓ शिक्षण संस्थाओं/विस्तार प्राप्त विस्तार को सभी वर्गों का पूर्ण प्रदान किया।
- ✓ शिक्षण संस्थाओं/विस्तार प्राप्त विस्तार द्वारा प्राप्त अनुमोदन विस्तार प्राथमिक शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किया गया है।
- ✓ शिक्षण संस्थाओं/विस्तार प्राप्त विस्तार द्वारा प्राप्त अनुमोदन विस्तार प्राथमिक शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किया गया है।
- ✓ शिक्षण संस्थाओं/विस्तार प्राप्त विस्तार द्वारा प्राप्त अनुमोदन विस्तार प्राथमिक शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किया गया है।

[Handwritten Signature]